–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

(जीसीएमएस नं0 2023 / 14)

मु0नं0–79 / 2022

उनवान –सरकार बनाम 1. माताप्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर दयाल , उम्र 62 वर्ष, जाति वैश्य, विकेता मैसर्सः एसके किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर निवासी सरानीखेडा, मैन बाजार, जिला धौलपुर 2. सुनील सिंघल पुत्र श्री माताप्रसाद सिंघल मालिक मैसर्स एस.के.किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 09.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त माताप्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर दयाल , उम्र 62 वर्ष, जाति वैश्य, विकेता मैसर्सः एसके किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर निवासी सरानीखेडा, मैन बाजार, जिला धौलपुर एवं सुनील सिंघल पुत्र श्री माताप्रसाद सिंघल मालिक मैसर्स एस.के.किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्त / अप्रार्थी के दुकान मैसर्सः एसके किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में मौजूद में लगभग 10 डिब्बे (प्रत्येक 500 एमएल) के रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) को आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) में मिलावट का शक होने पर उक्त रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) को 4 कम्पनी पेक (प्रत्येक 500 एमएल) रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) नमूना डी–2564 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 925 / एक्ट / 2022 / 925 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जवाब पेश करने से मना किया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त मिथ्याछाप (Misbranded) रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण मिथ्याछाप (Misbranded) रिफाईण्ड पाल्म ऑयल (विलोवणा) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री माताप्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर दयाल , उम्र 62 वर्ष, जाति वैश्य, विकेता मैसर्सः एसके किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर निवासी सरानीखेडा, मैन बाजार, जिला धौलपुर एवं सुनील सिंघल पुत्र श्री माताप्रसाद सिंघल मालिक मैसर्स एस.के.किराना स्टोर, सरानीखेडा, धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत राशि 51,000 / –रुपये (इक्यावन हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0

Scanned with OKEN Scanner